

for file

"website"

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पौचवीं मंजिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004

ई-मेल affil-he@mp.gov.in

दूरभाष क्रमांक- 2554763

क्रमांक- 1728 / 274 / आउशि / सम्बद्धता / 18.

भोपाल, दिनांक- 21 / 08 / 2018.

प्रति,

1- कुलसचिव, समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश (हेल्प सेंटर - 07)

2- प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश (हेल्प सेंटर - 78)

विषय :- सत्र 2018-19 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0ई0) के पाठ्यक्रमों बी.एड. आदि में प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार बाबत।

—00—

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त/निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन0सी0टी0ई0) के पाठ्यक्रमों बी.एड. आदि में वर्ष 2018-19 के लिये प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में दिनांक 23/08/2018 तक आवेदकों द्वारा ऑन-लाईन पंजीयन एवं शिक्षण संस्थाओं का चयन (वरीयता व्यक्त करना) किया जा सकता है। पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का ऑनलाईन सत्यापन संबंधित हेल्प सेंटर द्वारा दिनांक 25/08/2018 तक किया जाना है।

3. कई पंजीकृत आवेदकों से ऑन-लाईन पंजीयन आवेदन-पत्र में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि होने की जानकारी प्राप्त होने पर आवेदकों की सुविधा हेतु एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से पोर्टल [www.hed.mponline.gov.in](http://www.hed.mponline.gov.in) पर आवेदन पत्र में संशोधन हेतु "Edit Option" की सुविधा हेल्प सेंटरों पर उपलब्ध करा दी गई है, जो प्रत्येक चरण में दस्तावेजों के ऑन-लाईन सत्यापन तक जारी रहेगी, लेकिन दस्तावेजों के ऑन-लाईन सत्यापन के उपरान्त किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

प्रदेश में किसी भी हेल्प सेंटर पर आवेदक की त्रुटि का सुधार किया जा सकता है। अतः आवेदक के उपस्थित होने पर हेल्प सेंटर द्वारा आवेदन-पत्र की त्रुटि में सुधार की कार्यवाही सजगता से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.  
भोपाल, दिनांक- 21 / 08 / 2018.

पृ. क्रमांक- 1729 / 274 / आउशि / सम्बद्धता / 18.  
प्रतिलिपि :-

- 1- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 2- स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश।
- 4- वि.क.अ., उच्च शिक्षा (आई.टी. शाखा), भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.